

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

Tele/Fax No.: (020) 26614665
EPABX: (020) 26685955/26685917
E-mail: mhgoa.pune.soi@gov.in
संख्या. प्रशा. 642 /37-जी-9



निदेशक का कार्यालय
Office of the Director
महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय
Maharashtra & Goa Geo-spatial Directorate
फुलेनगर आलंदीरोड पुणे - 411 006
Phule Nagar, Alandi Road, Pune - 411006
दिनांक: 26 /08/2024

नेमी आदेश सं. 95 /37-जी-9 दिनांक 26/08/2024

1. प्रशासन को मजबूत बनाना-50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करनेवाले अधिकारी के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार।

मंत्रालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने निम्नलिखित अधिकारी को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहने के लिए स्वीकृति प्रदान कि गई है।

अ.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	टिप्पणी
01.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक	50 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर।

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र संख्या. सी-2752/854-आर (गजटेड-निदेशक) दिनांक 02.08.2024

2. स्थानांतरण गये

निम्नलिखित अधिकारी स्थानांतरण पर गये है।

अ. क्र	नाम एवं पदनाम	कार्यालय से	किस कार्यालय में स्थानांतरण	उपस्थिति की तिथि
01.	श्री चन्द्रमोहन सिंह पंवार, वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	महा. एवं गो. भू-स्थानिक निदेशालय, पुणे।	निदेशक, आय. बी. डी एवं डी.एस.ए. नई दिल्ली, (वेस्टर्न प्रिटींग ग्रुप)	05.08.2024 (अप्रहण)
02	श्री नितीन पाटिल, सर्वेक्षक	महा. एवं गो. भू-स्थानिक निदेशालय, पुणे।	निदेशक, जम्मू-कश्मिर एवं लदाख जी.डी. जम्मू।	22.08.2024 (अप्रहण)

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. स्था.1-4273/1466-तकनिकी सहायक दिनांक 31.07.2024 एवं भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय का पत्र सं. सी-2771/707/संग्रह-83 दिनांक 06.08.2024।)

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर सी.सी.एस. (पेंशन नियम, 1972) के तहत कवरेज।

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली का कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/05/2021-पी एन पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 03.03.2023 में के अनुसार तथा क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग हैदराबाद का पत्र संख्या RPAO/SOI/GPF/2024-25/95-96 दिनांक 09.08.2024 के अनुसार महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के स्थान पर सी.सी.एस. (पेंशन नियम, 1972) के तहत कवरेज किया जाता है।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जारी किया गया जी.पी.एफ. खाता संख्या
1	श्रीमती पदमा रविद्र भगत	एम.टि.एस.	HYD/SOI/5634

अमरेंद्र
(अमरेन्द्र कुमार सिंह) 26/8/24
निदेशक

- वितरण:-1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलुरु को कृपया सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय लेखा एवं वेतन अधिकारी, हैदराबाद को कृपया सूचनार्थ।
4. स्थापना एवं लेखा अधिकारी/प्रभारी, लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वेब ईंचार्ज, भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को वेब साईट पर अपलोड करने के लिए।